

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 18/06/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 17.06.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. “श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।”

दिनांक 17.06.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० -439/2020 धारा 376AB,504,506 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अजरुद्दीन उर्फ अजहरुद्दीन पुत्र अब्दुल रसीद निवासी मोहल्ला डंकीनगंज,लालदरवाजा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त अजहरुद्दीन उर्फ प्रिन्स को धारा 376AB,506 भादवि व 5M/6 पाक्सों एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है । धारा 42 पाक्सों एक्ट में अधि0 2012 में निहित प्रावधान के अनुक्रम में दोषसिद्ध अभि0 को धारा 376AB भादवि में दण्डित न करते हुए धारा 5M/6 पाक्सों एक्ट के तहत 20 वर्ष का साधारण कारावास व 30,000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित , धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर